राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–597/2015

गोपाल लाल धाकड़

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान अजमेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा–।।, भीलवाड़ा।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 21.11.2023

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री प्रदीप सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– **अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)**
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अस्थाई रूप से अध्यापक ग्रेड–।। के पद पर हुई थी, जो सत्रांत तक की अवधि के लिए थी। अपीलार्थी ने सेवाएं दिनांक 03.12.1983 को नियुक्त की। शिक्षा उपनिदेशक द्वारा अपीलार्थी को आदेश दिनांक 25.06.1984 के द्वारा सत्र 1984–85 के लिए पुनः नियुक्ति दी। इसके पश्चात अपीलार्थी को आदेश दिनांक 11.07.1985 के द्वारा सत्रांत तक की अवधि के लिए सत्र 1984–85 के लिए नियुक्ति दी गई। इसके पश्चात अपीलार्थी को सत्र 1986–87 के लिए पुनः नियुक्ति स्थाई रूप से दी गई। अपीलार्थी को ग्रीष्मकालीन अवकाश का वेतन भी प्रदान किया गया। वर्ष 1988 में अपीलार्थी ने बीएड का परीक्षण प्राप्त किया एवं बीएड की परीक्षा का परिणाम दिनांक 18.08.1988 को घोषित किया गया, जिसमें अपीलार्थी उत्तीर्ण रहा। अपीलार्थी द्वारा बीएड पास करने का इंद्राज भी उसके सेवाभिलेख में किया गया। चूंकि अपीलार्थी ने बीएड उत्तीर्ण कर ली थी, ऐसे में उसकी सेवाएं समाप्त नहीं की जानी चाहिए थी। राजस्थान सरकार द्वारा आदेश दिनांक 04.08.1987 जारी किया गया था, जिसमें यह प्रावधान रखा गया था कि जिन अप्रशिक्षित अध्यापकों ने बीएड की परीक्षा दी है, परंतु परिणाम अभी प्रतिदिप्त है, उनकी सेवाएं 1 जुलाई से निरंतर रखी जाये तथा बीएड में पास हो जाते है तो उन्हें भी प्रशिक्षित अध्यापक की नियुक्ति दी जाये। अपीलार्थी की सेवाएं 04.07.1987 से 18.09.1989 तक Break मानी गई एवं अपीलार्थी को ट्रेंड अध्यापक के रूप में नियुक्ति दिनांक 13.09.1989 के आदेश से दी गई। राजस्थान सरकार द्वारा आदेश दिनांक 04.08.1987 के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी की सेवाएं Break नहीं

मानी जानी चाहिए थी और अपीलार्थी की समस्त सेवाएं सत्र 1987–88 के लिए जोड़ी जानी चाहिए थी। अपीलार्थी ने कभी भी नवनियुक्ति के लिए आवेदन नहीं किया था। अपीलार्थी को ट्रेनिंग पास करने पर प्रशिक्षित अध्यापक के रूप में नियुक्ति दी गई। अतः अपीलार्थी की सेवाएं दिनांक 14.05.1987 से 18.09.1989 तक की सेवाएं उसकी सेवा में जोड़ी जाकर अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता एवं अन्य लाभ प्रदान किये जाये।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि राजस्थान पेंशन नियम 1996 के नियम 27 में दो वर्ष की अवधि का व्यवधान किसी भी स्थिति में माफ नहीं किया जा सकता है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में 14.05.1987 से 18.09.1989 तक व्यवधान बताया गया है जो कि माफ किये जाने योग्य नहीं है। राजस्थान सेवा नियम 97 प्रत्येक प्रकार के अवकाश के लिए देय अवकाश वेतन की राशि के संबंध में दर्शाता है। कार्मिक की सेवा पुस्तिका के अनुसार राज्य सेवा में कार्मिक ने 19.09.1989 को कार्यग्रहण किया जो कि दो वर्ष के परीवीक्षाकाल पर नियुक्त की गई इससे पूर्व की नियुक्ति का सेवा अभिलेख में उल्लेख नहीं है।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थी का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि राजस्थान सरकार द्वारा आदेश दिनांक 04.08.1987 की पालना में अपीलार्थी की सेवाएं निरंतर रखी जानी चाहिए थी, परंतु अपीलार्थी की सेवाएं निरंतर नहीं रखी गई। राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया आदेश दिनांक 04.08.1987 का अवलोकन करे तो इससे प्रकट होता है कि जिन अप्रशिक्षित अध्यापकों ने बीएड परीक्षा दी है एवं जिनका परिणाम आना शेष है, उनकी सेवाएं 1 जुलाई से निरंतर रखी जाए। अपीलार्थी की नियुक्ति सत्र 1985–86 के लिए हुई थी। इसके पश्चात अपीलार्थी ने सत्र 1987–88 में भी सेवाएं दी हो, यह प्रकट नहीं होता है। ऐसे में अपीलार्थी पर उक्त आदेश दिनांक 04.08.1987 लागू नहीं होता है, क्योंकि अपीलार्थी सत्र 1986–87 में कार्यरत नहीं था। अतः अस्थाई रूप से दी गई पूर्व की सेवा को जोड़ने के लिये अपीलार्थी की Break in Service को Condone किये जाने का कोई उचित कारण नहीं है।

4. परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)